सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 269 राँची, मंगलवार, 5 ज्येष्ठ, 1948 (श०) / 26 मई, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

संकल्प

7 जून, 2024

ज्ञापांक :- 05/म.स./PVTG-AWC-232/2023-1238--

विषयः- प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (**PM-JANMAN**) के तहत्राज्य अन्तर्गत **Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG)** बहुल क्षेत्रों में 91 आँगनबाड़ी केन्द्रों के स्थापना,संचालन एवं इन में भवन निर्माण की स्वीकृति।

राज्य अन्तर्गत संचालित आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 0-6 वर्ष के बच्चों,गर्भवती महिलाओं,धातृमाताओं तथा किशोरी बालिकाओं को विभिन्न प्रकार की आँगनबाड़ी सेवाएँ यथा-(i) पूरक पोषाहार (ii) प्रति रक्षीकरण (iii) पोषण एवं स्वास्थय शिक्षा(iv) सन्दर्भ सेवाएँ(v) पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं (vi) स्वास्थय जाँच की सेवाऐं उपलब्ध करायी जाती है ।

विभागीय संकल्पांक-949,दिनांक-09.07.2009 के प्रावधानों के तहत्राज्यान्तर्गत सम्प्रति 38432 आँगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं जिनके माध्यम से उपर्युक्त सेवाएँ निर्बाध रूप से लाभार्थियों को उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

2. उपर्युक्त केन्द्रों का संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा - निर्देशांक-11/4/2021-CD-I (e-95706) दिनांक-01.08.2022 के अनुरूप तथा विभागीय संकल्पांक-2147,दिनांक-31.07.2023 के प्रावधानानुसार किया जा रहा है । इन मदों पर व्यय वहन केन्द्रांश एवं राज्यांश के 60: 40 अनुपात में निर्धारित है ।

3. विभागीय अधिसूचनांक-2239,दिनांक-30.09.2022 के माध्यम से झारखण्ड आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन एवं मानदेय (अन्य शर्त्तों सहित) नियमावली,2022 गठित है । इसके प्रावधानों के तहत् आँगनबाड़ी सेविकाओं एवं आँगनबाड़ी सहायिकाओं को प्रदाय कार्य सुविधाओं में राज्य मद से अतिरिक्त मानदेय, इसमें वार्षिक वृद्धि तथा सामूहिक बीमा का भुगतान सम्मिलित हैं।

4. भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान "**PM-JANMAN**" कार्यान्वित कराई जा रही है । एतद्के अभिसरण में मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 का संचालन कराने संबंधी मार्ग निर्देश निर्गत है । उक्त के तहत्महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिशा-निर्देशांक-CD-I-11/13/2023-CD-I दिनांक-29.12.2023 एवं संलग्न अन्य दिशा-निर्देशों के माध्यम से **Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG)** बहुल क्षेत्रों के लिए निम्न निर्देश निर्गत हैं:-

i. पूर्व के निर्गत आबादी मापदंड को संशोधित करते हुए 100 की जनसंख्या वाले पोषक क्षेत्र में एक आँगनबाड़ी केन्द्र स्थापित किया जायेगा । इन केन्द्रों का संचालन दिनांक-31.01.2024 तक प्रारंभ करने का निर्देश भी निर्गत है;

ii. इन केन्द्रों का संचालन के लिए आवर्त्ती व्यय (स्थापना/प्रशासनिक/केन्द्र संचालन व्यय) केन्द्रांश एवं राज्यांश के वर्त्तमान अनुपात में किया जायेगा;

iii. स्व-भवन निर्माण होने तक इन केन्द्रों का संचालन किराया के भवन में किया जायेगा;

iv. इन केन्द्रों के लिए भवन निर्माण रू०-12.00 लाख प्रति केन्द्र की दर पर कराये जायेंगे एवं इस पर आगत व्यय वहन शत्-प्रतिशत् (100%) केन्द्रांश राशि से किया जायेगा;

v. **PM-JANMAN** के तहत् इन केन्द्रों के लिए विमुक्त केन्द्रांश राशि SNA मापदंडों के अनुरूप व्ययित होगी एवं एतद्हेतु Separate SLS सृजित कराये जायेंगे;

5. उल्लेखनीय है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-CD-I-11/13/2023-CD-I, दिनांक-18.12.2023 के आलोक में राज्य के 11 जिलों यथा-चतरा, दुमका, जामताड़ा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, प०सिंहभूम, पू०सिंहभूम, राँची, सरायकेला एवं सिमडेगा में PVTG बहुलकुल 91 पोषक क्षेत्रों में आँगनबाड़ी केन्द्र की स्थापना एवं इन में भवन निर्माण संबंधी प्रस्ताव भारत सरकार को उपलब्ध कराया गया है । एतद्प्रस्ताव समाज कल्याण निदेशालय, झारखण्ड द्वारा जिला प्राधिकारों से कराये गये सर्वे के आधार पर विभागीय पत्रांक-13,दिनांक-04.01.2024 के माध्यम से भारत सरकार को समर्पित किया गया है ।

6. उपर्युक्त के आलोक में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्रांक-11/13/2023-CD-I (e-111487) दिनांक-12.01.2024 के माध्यम से राज्य में 91 आँगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

7. वर्णित परिप्रेक्ष्य में सम्यक्विचारोपरांत निम्नवत्स्वीकृति प्रदान की जाती है:

i. राज्य के PVTG बहुल विभिन्न पोषक क्षेत्रों में कुल 91 आँगनबाड़ी केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ii. इन आँगनबाड़ी केन्द्रों के लिए प्रत्येक केन्द्र एक आँगनबाड़ी सेविका एवं एक आँगनबाड़ी सहायिका का चयन किया जायेगा ।इन केन्द्रों में आँगनबाड़ी सेवाएँ वितरण का दायित्व इन कर्मियों द्वारा वहन किया जायेगा।

इन कर्मियों को चयन,मानदेय एवं अन्य सुविधाएँ झारखण्ड आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन एवं मानदेय (अन्य शर्तों सहित) नियमावली, 2022 एवं समय-समय पर यथा संशोधित राज्यादेशों के अनुरूप प्रदत्त होंगे।

iii. इन केन्द्रों में भवन निर्माण होने तक इनका संचालन किराया के भवनों में प्रावधानित व्यय दर पर कराया जायेगा।

iv. इन केन्द्रों का संचालन आँगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन संबंधी सम्प्रति प्रवृत्त राज्यादेशों के प्रावधानानुसार किया जायेगा । इन केन्द्रों के संचालन में PM-JANMAN तथा केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अभिसरण में कार्यान्वयन संबंधी निर्गत दिशा-निर्देशों काभी अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

v. इन केन्द्रों के संचालन पर विभिन्न मदों (केन्द्र भवन निर्माण छोड़कर) पर आगत व्यय वहन केन्द्रांश एवं राज्यांश के 60: 40 में किया जायेगा।

vi. उपर्युक्त 91 आँगनबाड़ी केन्द्रों में केन्द्र भवन निर्माण प्रति केन्द्र रू०-12.00 लाख के व्यय दर पर कराई जायेगी ।एतद्पर शत्प्रतिशत्व्यय वहन केन्द्रीय अंशदान से किया जायेगा।

8. इन केन्द्रों के स्थापना,संचालन,भवन निर्माण एवं तत्पर व्यय संबंधी कार्रवाई समय-समय पर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के निर्गत दिशा-निर्देशों के आलोक में किया जायेगा।

9. उपर्युक्त केन्द्रों के संचालन पर निम्नवत्व्यय संभावित है:-

(राशि लाख रु0 में)

क्र०	मद	केन्द्र प्रायोजित योजना मद से		राज्य योजना मद से ½100%½	कुल
		केन्द्रांश	राज्यांश		
1.	प्रतिवर्ष व्यय (आवर्ती व्यय) (60:40)	48.694	32.463	82.810	163.967
2.	प्रति पाँच वर्ष पर व्यय (आवर्ती व्यय+उपस्कर/फर्नीचर पर व्यय) (60:40)	250.570	167.047	414.050	831.667
3.	एकबारीय व्यय				
	भवन निर्माण पर(100 %केन्द्रांश)	1090.000	0.000	0.000	1090.000

10. उपर्युक्त व्यय वहन हेतु चालू वित्तीय वर्ष-2023-24 में निधि की उपलब्धता एवं उक्त के विकलन हेतु बजटीय शीर्षों संबंधी विस्तृत विवरण परिशिष्ट-I के रूप में संलग्न है।

11. एतद्संबंधी प्रावधान इसके संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगे ।

12. एतद्पर राज्य मंत्रिपरिषद्की दिनांक-16.03.2024 को सम्पन्न बैठक की मद संख्या-19 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,
सरकार के सचिव

परिशिष्ट-I

विकलनीय शीर्षों एवं उपबंधित निधियों की विवरणी

(राशि लाख रू० में)

क्र०	शीर्ष	राशि	
1.	समेकित बाल विकास योजना (224बाल विकास परियोजनाओं एवं 20जिला समाज कल्याण कार्यालय के लिए)		
	माँग सं०-60 के केन्द्रांश एवं राज्यांश मद के - (क बजट -जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना)उपबंध के मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण,लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना,उपशीर्ष-51/समेकित बाल विकास योजना (**224** बाल विकास परियोजनाओं एवं **20** जिला समाज कल्याण कार्यालय के लिए); (ख -अन्य क्षेत्रीय उपयोजना)बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण,लघु शीर्ष-102-बाल कल्याण,उपशीर्ष-51/समेकित बाल विकास योजना (**224** बाल विकास परियोजनाओं एवं **20** जिला समाज कल्याण कार्यालय के लिए।)	केन्द्रांश राज्यांश कुल	22548.26 15032.18 37580.44
2.	मेडिसीन किट्स योजना अन्तर्गत		
	माँग सं०-60के केन्द्रांश एवं राज्यांश मद के - (क-बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष -जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष -796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना,उपशीर्ष -47/मेडिसीन किट्स योजना ; (ख-बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष - क्षेत्रीय उपयोजनाअन्य)2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण,लघु शीर्ष-102-बाल कल्याण,उपशीर्ष-47/मेडिसीन किट्स योजना।	केन्द्रांश राज्यांश कुल	336.00 224.00 560.00
3.	स्कूल पूर्व शिक्षा किट्स योजना अन्तर्गत	केन्द्रांश	691.78
	माँग सं०-60के केन्द्रांश एवं राज्यांश मद के - (क-बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष -जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष -796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष -48/ स्कूल पूर्व शिक्षा किट्स योजना; (ख-बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष -अन्य क्षेत्रीय उपयोजना)2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण,लघु शीर्ष-102-बाल कल्याण,उपशीर्ष-48/ स्कूल पूर्व शिक्षा किट्स योजना ।	राज्यांश कुल	461.18 1152.96

4.	आँगनबाड़ी सेविकासहायिका को पोषाक योजना अन्तर्गत/	
	माँग सं०-60के केन्द्रांश एवं राज्यांश मद के - (क-बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष -जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष -796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना,उपशीर्ष -75/ आँगनबाड़ी सेविकासहायिका को पोषाक योजना/; (ख-बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष -अन्य क्षेत्रीय उपयोजना)2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण,लघु शीर्ष-103- महिला कल्याण,उपशीर्ष-75/ आँगनबाड़ी सेविकासहायिका को पोषाक योजना/।	केन्द्रांश 445.88 राज्यांश 297.25 कुल 743.13
5.	आँगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण,रखरखाव-,उन्नयन (पूँजी) योजना अन्तर्गत	
	माँग सं०-60के केन्द्रांश एवं राज्यांश मद के- (क बजट उपबंध के -जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना)मुख्य शीर्ष-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष -796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना,उपशीर्ष -73/ आँगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण,रखरखाव-,उन्नयन (पूँजी) योजना; (ख-बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष -अन्य क्षेत्रीय उपयोजना)4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण,लघु शीर्ष-103- महिला कल्याण,उपशीर्ष-73/ आँगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण,रख रखाव-,उन्नयन योजना (पूँजी)।	केन्द्रांश 1776.00 राज्यांश 1184.00 कुल 2960.00
6.	बीमा सुरक्षा योजना अन्तर्गत	
	माँग सं०-60के केन्द्रांश एवं राज्यांश मद के - (क-बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष -जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष -796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना,उपशीर्ष -BJ/ बीमा सुरक्षा योजना।; (खबजट -अन्य क्षेत्रीय उपयोजना) उपबंध के मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण,लघु शीर्ष-103- महिला कल्याण,उपशीर्ष- BJ/ बीमा सुरक्षा योजना।	केन्द्रांश 181.73 राज्यांश 121.16 कुल 302.89

7.	आँगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय योजना/ अन्तर्गत	<u>राज्य मद</u> रू०-36756.00लाख
	माँग सं०-60के राज्य मद के - (क-बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष -जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष -796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना,उपशीर्ष - BJ/आँगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय/ योजना; (खअन्य क्षेत)्रीय उपयोजना-बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष - 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण,लघु शीर्ष-103- महिला कल्याण,उपशीर्ष- BJ/आँगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय योजना/।	

(मनोज कुमार),
सरकार के सचिव

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 269 - 50